(84)

संख्या– /XXXVI(3)/विधायी प्रकोष्ठ/2012–13

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग,
डिफेन्स कालोनी,,
देहरादून।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधायी प्रकोष्ठ) देहरादूनः दिनाँकः 08 जनवरी, 2013

विषयः **वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम, 2012 पारित होने के फलस्वरूप प्रथम अनुपूरक मांग की धनराशियां अनुदान संख्या 07 लेखाशीर्षक 2052–सचिवालय सामान्य सेवाये–090–सचिवालय–00–आयोजनेत्तर–15–राज्य विधि आयोग हेतु बजट आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम प्राप्त संलग्न अलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या S1301070094 दिनॉक 07 जनवरी, 2013 मे दिये गये विवरणानुसार कुल ₹ 1,000.00 मात्र (₹ एक हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश 193 दिनॉक 19 जून, 2012 मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न शर्त के साथ स्वीकृत करते हुए व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :––

(धनराशि हजार ₹ में)

कमांक	मानक मद का नाम	स्वीकृत आय–व्ययक
01	09–विधुत देय	1
	कुल योग	1

(₹ एक हजार मात्र)

2. पूर्व माह के व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 में अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जाय।

3. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय हो करने का अधिकार नहीं देते हैं जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।

5. उक्त सभी मदो मे धनराशि का व्यय बजट प्राविधान की सीमाओं में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. धनराशि का उपयोग उसी निमित्त किया जाय, जिस प्रयोजन से इसे स्वीकृति दी गई है।

7. धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा सर्वप्रथम पुराने देयकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8. शासनादेश संख्या–321/xxvii(1)/2012 दिनॉक 19 जून, 2012 मे दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. उक्तवत् स्वीकृत धनराशि के व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. उक्त पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2012–2013 में अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052–सचिवालय सामान्य सेवायें–00–आयोजनेत्तर–090–सचिवालय–15–राज्य विधि आयोग के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव।

संख्या –198/XXXVI(3)/विधायी प्रकोष्ठ/2012–13/दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
02. केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
03. वित्त अनुभाग 5 उत्तराखण्ड शासन।
04. निदेशक, लेखा एवं हकदारी (डाटा सेन्टर) लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
05. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
06. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर देहरादून।
07. विभागीय आदेश पुस्तिका।

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव।